बिहार सरकार
<u>ऊर्जा विभाग</u>

पत्रांक–प्र02 / बोर्ड विविध–21 / 2010(खंड–I) पटना, दिनांक–

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना ।

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई निर्धारित सब्सिडी की राशि के आधार पर कुल 5070.00 करोड़ (पाँच हजार सत्तर करोड़) रूपये अनुमानित सब्सिडी के विरूद्ध कुल 4137.00 करोड़ (चार हजार एक सौ सैंतीस करोड़) रूपये की स्वीकृत सब्सिडी के अतिरिक्त शेष 933.00 करोड़ (नौ सौ तैंतीस करोड़) रूपये की सब्सिडी की राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–574 दिनांक–28-02-19 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति इकाई निर्धारित सब्सिडी की राशि के आधार पर कुल 5070.00 करोड़ (पाँच हजार सत्तर करोड़) रूपये अनुमानित सब्सिडी के विरूद्ध कुल 4137.00 करोड़ (चार हजार एक सौ सैंतीस करोड़) रूपये की स्वीकृत सब्सिडी के अतिरिक्त शेष 933.00 करोड़ (नौ सौ तैंतीस करोड़) रूपये की सब्सिडी की राशि वित्तीय वर्ष 2018–19 में बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को भुगतान करने हेतु आवंटन स्वीकृत एवं विमुक्त किया जाता है।

2. यह राशि बजट मांग संख्या–10, मुख्य शीर्ष "2801– बिजली–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघु शीर्ष–190– सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता", उपशीर्ष–0004–बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 विपत्र कोड–10–2801801900004 विषय शीर्ष–33.01 सब्सीडी के अन्तर्गत वित्तीय शीर्ष 2018–19 में तृतीय अनुपूरक आगणन में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटन की स्थिति निम्न प्रकार है :–

बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	बजट उपबंध की शेष राशि
51200000000.00	41870000000.00	9330000000.00	51200000000.00	0.00

3. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से अनुरोध है कि राशि की निकासी के पूर्व सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के बाद ही इस राशि की निकासी करेंगे। यह राशि उस मद में कुल उपबंधित राशि के अधीन है।

6. आवंटित राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि के साथ संबंधित इकाई के कोड संख्या का भी उल्लेख करेंगे तथा विपत्र पर चिन्हित राशि बजट उपबन्ध के अन्तर्गत होने का प्रमाण–पत्र भी अंकित करेंगे।

7. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना चालू खाता संख्या–10839114909 एवं IFSC Code-SBIN0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के द्वारा की जायेगी।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–I) /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र02/बोर्ड विविध–21/2010(खंड–I) -45 /पटना, दिनांक–28-02-19

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।